राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2092/2024
देवेन्द्र प्रजापत

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, उदयपुर।
4. तहसीलदार, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.06.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.01.2024 के द्वारा निलम्बित किया गया था। उनका यह कथन है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में निलम्बन आदेश दिनांक 05.01.2024 में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन है अथवा प्रारम्भ कर दी गयी है। ऐसे में नियम 13 की जो शर्त है, उसका उल्लेख आलोच्य आदेश में नहीं होने से आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये पारित किया गया हैं। यह भी तर्क रहा है कि इसी प्रकरण से सम्बन्धित अन्य कार्मिक जगदीश चन्द्र रेबारी कार्यालय कानूनगो को भी निलम्बित किया गया था। जगदीश चन्द्र रेबारी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 5741/2024 में आदेश दिनांक 09.04.2024 पारित कर जगदीश चन्द्र रेबारी का निलम्बन आदेश स्थगित रखा है। अपीलार्थी का प्रकरण जगदीश चन्द्र रेबारी के प्रकरण से भिन्न नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी के निलम्बन आदेश में भी नियम 13 की शर्त का उल्लेख

नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित निलम्बन आदेश को भी स्थगित रखा जाए।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि वर्तमान में अपीलार्थी के सम्बन्ध में विभागीय जांच में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में अपीलार्थी को जिस सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था उस सम्बन्ध में अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। जिस आधार पर जगदीश चन्द्र रेबारी के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया था, वह प्रकरण अपीलार्थी के सम्बन्ध में लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से अपीलार्थी के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के दृष्टिगत आदेश पारित किया जाना अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के तथ्य से वर्तमान में प्रकट होता है। यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में निलम्बन आदेश में यह तथ्य अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध नामान्तरण के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध चूंकि अवैध नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में आरोप पत्र जारी किया जा चुका है। हम इस तथ्य पर विवेचना करना उचित नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा अवैध नामान्तरण खोला गया था या नहीं, क्योंकि यह जांच का विषय है और इस सम्बन्ध में जांच प्रारम्भ की जा चुकी है। हमे केवल यह देखना है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला निलम्बन हेतु विद्यमान था या नहीं। अपीलार्थी को आरोप पत्र दिये जाने के तथ्य से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये तथ्य विद्यमान है। वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ हो चुकी है। ऐसे में हम अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)